

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10082020-221038  
SG-DL-E-10082020-221038

असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 2020/श्रावण 17, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 92
No. 150]	DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 2020/SRAVANA 17, 1942	[N. C. T. D. No. 92

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सं0फा0 9(1)(2)/पीएनडीटी/डीएफडब्ल्यू/03/1882-97.—गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 2 के खंड (आर) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (ए) और धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों करते हुए तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 जुलाई, 2013 के पत्र सं0 24026/05/2013-पीएनडीटी के अनुपालन में और दिनांक 23 अप्रैल, 2014 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिये हटाई गई बातों के सिवाए, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए निम्नलिखित सदस्यों सहित एक उपयुक्त प्राधिकरण नियुक्त करते हैं: -

क्र० सं०	उपयुक्त प्राधिकरण क सदस्य
1	निदेशक, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सातवां तल, बी एंड सी विंग, विकास भवन-2, सिविल लाईन, नई दिल्ली-110054 ----- अध्यक्ष
2	अपर सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आठवां तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ----- सदस्य
3	उप-निदेशक, आईसीडीएस, महिला एवं बाल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला संगठन के प्रतिनिधि के रूप में ----- सदस्य

सुरेन्द्र नारंग, उप-सचिव (डीएफडब्ल्यू)

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 7th August, 2020

**No. F.9(1)(2)/PNDT/DFW/03/1882-97.**—In Exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clause (a) of sub-section(3) of section 17 read with clause (r) of section 2 of the Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) and in compliance of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare's Letter no. 24026/05/2013-PNDT dated the 18<sup>th</sup> July, 2013 and in supersession of the earlier notification dated the 23<sup>rd</sup> April, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Hon'ble Minister, Health & Family Welfare, Govt. of National Capital Territory of Delhi hereby appoints an Appropriate Authority for the whole of the National Capital Territory of Delhi consisting of the following members for the purposes of the said Act, with the effect from the date of publication of this notification, namely:-

S.No.	Members of the Appropriate Authority
1	The Director, Family Welfare, Government of NCT of Delhi, 7 <sup>th</sup> Level, B&C Wing, Vikas Bhawan II, Civil Lines, New Delhi-110054 ..... Chairperson
2	Addl. Secretary (Law, Justice and LA), Govt. of NCT of Delhi, 8 <sup>th</sup> level, Delhi Secretariat, I.P.Estate, New Delhi .....Member
3	Deputy Director, ICDS, Department of Women and Child Development, GNCT of Delhi as Representative of Women's Organisation .....Member.

SURINDER NARANG, Dy. Secy. (DFW)